भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4936

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि रूपांतरण

4936. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

डॉ॰ सुकान्त मजूमदार :

श्री विनोद कुमार सोनकर :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'भारतीय कृषि के रूपांतरण' हेतु मुख्य मंत्रियों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मानना है कि कृषि सुधारों हेतु सहकारी संघवाद अत्यावश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कार्यान्वित की गई नई योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की है और यदि हां, तो किसानों की आय दोगुनी करने में किन-किन कमियों को चिन्हित किया गया है;

(ङ) इन कमियों को दूर करने और किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की जीवन दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) किसानों के कल्याण हेतु नई योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने 01.07.2019 को 'भारतीय कृषि के रूपांतरण' के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. श्री देवेन्द्र फड़णवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र : संयोजक
ii. श्री एच.डी कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक : सदस्य
iii. श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा : सदस्य
iv. श्री पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश : सदस्य
v. श्री विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री, गुजरात : सदस्य
vi. श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश : सदस्य
vii. श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश : सदस्य

viii. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार : सदस्य

ix. प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग : सदस्य-सचिव

(ग) : जी, हां। चूंकि कृषि राज्य का विषय है राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें भावी योजनाओं का विकास करती हैं और कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करती है जिसका लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाना, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रगतिशील कृषि मंडी में सुधार करना, ऋण तक पहुंच को सुलभ बनाना, जोखिम प्रबंधन तथा आय समर्थन करना है। इसलिए भारत सरकार और राज्य किसानों के लाभ के लिए जिला / ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।

(घ) और (ड.) : कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की सभी योजनाएँ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करने के लिए कृषि उत्पादन और इससे जुड़े कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए हैं। प्रत्येक योजना में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों से परामर्श करके आवधिक समीक्षा के लिए एक अंतर्निर्मित तंत्र है और लगातार परिणामों में सुधार और किसानों को लाभ के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

विभिन्न पहलों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। जिनमें से महत्वपूर्ण निम्न हैं:

i. किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) को प्राप्त करने के लिए उन प्रक्रियाओं का सरल बनाना जो 2 प्रतिशत ब्याज छूट (आईएस) तथा 3 प्रतिशत तत्काल पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (ईआरआई) के साथ किसानों को रियायती दरों पर कृषि ऋण प्रदान करते हैं ताकि 4 प्रतिशत प्रभावी दर प्राप्त की जा सके। केसीसी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

   - केसीसी में पशुपालन तथा मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलापों को शामिल किया गया - आईएस एवं पीआरआई के लाभों का भी विस्तार किया गया।
   - भारतीय बैंकर संघ ने केसीसी का नवीनीकरण या नए केसीसी जारी करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण, खाता बही प्रभार, तथा अन्य सभी सेवा प्रभार हटा दिया है।
   - आरबीआई ने संपार्श्विक मुक्त मौजूदा कृषि ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया है।

ii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत वर्ष 2018-19 में 553.01 लाख किसानों को 8,665 करोड़ रु. के दावों का भुगतान किया गया था।

iii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है।

iv. देश भर के किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें कृषि और अन्य गतिविधियों से संबंधित खर्चों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है। योजना का उद्देश्य उच्च आय समूह से संबंधित विशिष्ट अपवर्जनों के अध्यधीन किसान परिवारों को 2000 रूपये की 4 माह की 3 किस्तों में 6000 रूपये प्रति वर्ष का भुगतान करना है। वर्ष 2018-19 के दौरान 632.32895 लाख किसानों को 12646.579 करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं।

v. किसानों के पास वृद्धावस्था में गुजारे के लिए कोई बचत न होने के कारण उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने और जीवनयापन का स्रोत न होने की स्थिति में सहायता देने की दृष्टि से सरकार ने देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए कतिपय अपवर्जन उपबंधों के अध्यधीन एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात 3,000 रूपये/- प्रति माह न्यूनतम निर्धारित पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान है। इस स्कीम का लक्ष्य प्रथम तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है। यह एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च, 2022 तक स्कीम के लिए 10774.50 करोड़ रूपए बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है।

vi. किसान के लिए लाभकारी कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई छत्रक (अम्ब्रेला) योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं।

vii. 16 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ई-नाम ने हाल ही में दो विभिन्न राज्यों की मण्डियों की बीच अंतरराज्यीय व्यापार शुरु करके एक अन्य मुकाम हासिल किया है। पहले व्यापार या तो कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) में या उसी राज्य में अवस्थित दो (एपीएमसी) के बीच किया जाता था। ग्यारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ई-नाम प्लेटफार्म पर अंतर-राज्य व्यापार में भाग लिया है।

(च) : यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य आवश्यक डेटा, उपयोगिता प्रमाणपत्र और पूर्ववर्ती वर्ष में जारी की गई धनराशि की प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक कार्य योजना को समय से प्रस्तुत करके केंद्रीय सहायता का पूरा उपयोग करते हैं।

****